




International Year
of Cooperatives

"भारत दर्शन

ऋण योजना"



चमोली जिला सहकारी बैंक लि०
प्रधान कार्यालय-गोपेश्वर

Mail- dcbcm1@gmail.com

Mail- development@czsbank.com

Phone- 8191997901

Phone- 8191997932

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

"Cooperatives Build a Better World"



सहकार से समृद्धि

सहकारिता से समृद्धि की दृष्टि को साकार करना



ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को गति देना



रोज़गार के अवसर



बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना



सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना



सहकारी आंदोलन को देश में सशक्त बनाना



सहकारी क्षेत्र की क्षमता



सहकारी क्षेत्र की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना



नीतिगत ढाँचा



नीतिगत, कानूनी और संस्थागत ढाँचे का निर्माण करना



डॉ. धन सिंह रावत

सहकारिता मंत्री, उत्तराखण्ड



चमोली जिला सहकारी बैंक लि०

प्रधान कार्यालय-गोपेश्वर



Mail- dcbcm@gmail.com

Mail- development@czsbank.com

Phone- 8191997901

Phone- 8191997932



International Year
of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World

भारत दर्शन

ऋण योजना

Document Title	Matrishakti Empowerment Loan Scheme
Approved By Board/ Administrator Resolution No.	05
Approved on	18 Nov. 2025
Effective Date	18 Nov. 2025

(सूर्य प्रकाश सिंह)
सचिव/महाप्रबन्धक

(डॉ० अभिषेक त्रिपाठी)
प्रशासक/मुख्य विकास अधिकारी



कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक संख्या: पत्रांक 51923/अधि०/नि०म० परिपत्र/2025-26 दिनांक 07 नवम्बर, 2025 के अनुपालन में बैंक प्रशासकीय बैठक दिनांक 19.11.2025 में पारित प्रस्ताव सं०-०४ के क्रम में "भारत दर्शन ऋण योजना" को निम्नानुसार बैंक में लागू किया गया है।

क्रमांक	मापदण्ड	विवरण/दिशा-निर्देश
1	योजना की प्रयोज्यता	यह योजना बैंक के प्रभावी क्षेत्राधिकार के प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक के परिचालित शाखाओं में उक्त यथा अनुमोदन ऋण नीति के प्रख्यापित किये जाने की तिथि यथा लागू से शाखा कार्यक्षेत्र की परिधि के अन्तर्गत मान्य होगी।
2	लाभार्थी	उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह और महिला मण्डल, सहकारी समितियों के सदस्य ओर अंशधारक भी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर ऋण अनुमन्य किये जाने के पात्र होंगे।
3	आयु	न्यूनतम आयु 25 वर्ष अधिकतम आयु 65 वर्ष (आवेदन जमा करने की तिथि तक)
4	प्रयोजन	ऋण सुविधा/यात्रा ऋण (मूलतः यात्रा के लिए व्यक्तिगत ऋण) स्वयं, माता-पिता या बच्चों के लिए छुट्टियों की योजना के लिए धन उपलब्ध कराना है, हॉलाकि ऋण का उद्देश्य किसी अन्यत्र मद में उपयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। आवेदन में यात्रा का स्थान निर्दिष्ट करना अनिवार्य होगा।
5	पात्रता मापदण्ड	1- बैंक में दो बचत खाते (एक स्वयं का और दूसरा परिवार के किसी सदस्य का) जिसमें न्यूनतम शेष राशि मु० 500/- हो। 2- सिबिल स्कोर 600 से ऊपर होना चाहिए। 3- किसी भी संस्था का बकायेदार नहीं होना चाहिए (स्वयं सहायता समूह/समूह को अपने संस्था/बैंक से बकायेदार नहीं होने का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)
6	मार्जिन	20 प्रतिशत
7	ऋण की आहरण सीमा	ऋण वितरण की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:- 1-व्यक्तिगत के लिए मु० 1.00 लाख रूपये तक 2- अधिकतम पाँच सदस्यों वाले समूह के लिए मु० 2.00 रूपये तक 3-पाँच से अधिक सदस्यों वाले समूह के लिए मु० 3.00 लाख रूपये तक



8	प्रतिदान क्षमता	आवेदक के पास शाखा प्रबन्धक की सन्तुष्टि के अनुरूप आय का पर्याप्त स्रोत होना चाहिए।
9	ऋण सुरक्षा/गारण्टी	शाखा पर संचालित खाते के सम्मानित खाता धारक से गारण्टी अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के उपरान्त स्वीकृत किया जायेगा। या परिवार के किसी वयस्क सदस्य की गारण्टी अनिवार्य होगी। (स्वयं सहायता समूह/समूह के लिए सभी सदस्य द्वारा मु० 100/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर आपसी समझौता निष्पादित किया जायेगा।)
10	ऋण अप्रैजल	शाखा प्रबन्धक को ऋण स्वीकृत करते समय सावधानी पूर्वक सम्पूर्ण ऋण दस्तावेजो का ई-कें वाई० सी०/के०वाई०सी० अपने समक्ष करने तथा पात्रता एवं प्रतिदान क्षमता का मूल्यांकन करने के उपरान्त यदि ऋण जोखिम एवं ऋण सुरक्षा से पूर्ण सन्तुष्टि होने की दशा में समस्त औपचारिकताये पूर्ण कर ऋण स्वीकृत करेंगे।
11	पुनर्भुगतान की अवधि	अधिकतम 3 वर्ष उधारकर्ता को 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व ऋण का परिसमापन करना होगा।
12	ब्याज दर	उक्त मद पर वर्तमान ब्याज दर 10 प्रतिशत होगी जो समय-समय पर प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के उपरान्त परिवर्तनीय किया जा सकता है।
13	बैंक ऋण की अदायगी	1. ऋण खाते को अनिवार्य रूप से बचत खाते से जोड़ा जायेगा। 2-ऋण संवितरण बैंक शाखा में बचत खाते के माध्यम से किया जाएगा, जो अधिमानतः आधार से जुड़ा होना चाहिए।
14	बीमा	ऋणियों का यात्रा बीमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
15	सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	उधारकर्ता को आयु की पात्रता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अन्तर्गत आच्छांदित किया जाना चाहिए।
16	ऋण की वसूली	पुनर्भुगतान समान मासिक किस्त के आधार पर किया जायेगा। शाखा में वेतन खाता वाले उधारकर्ता को मासिक किस्त के लिए वेतन खाते से स्थायी अनुदेश प्रदान करना होगा। अन्य सभी आवेदकों को त्रैमासिक किस्त के 12 उत्तर दिनांकित चैक जमा करने होंगे, अर्थात् प्रत्येक तिमाही के लिए उत्तर दिनांकित चैक हॉलाकि ऋण किस्त मासिक रूप से वसूल की जाएगी, ईएमआई में अनियमितता की स्थिति में चैक का उपयोग किया जायेगा।
17	प्रोसिंसग शुल्क	समय-समय पर मुख्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क प्रभारित किया जायेगा।



18	नामात्रिक सदस्यता	आवेदक एवं गारण्टर को बैंक का नामात्रिक सदस्य नामांकित किया जाना अनिवार्य होगा।
19	स्वीकृता प्राधिकारी	ऋण स्वीकृति प्राधिकारी बैंक ऋण नीति के अनुसार।
20	रिपोर्टिंग	गैर प्राथमिकता क्षेत्र (Non Priority Sector)
21	कोई अन्य शर्तें	ऋण राशि की सुरक्षा के लिए दस्तावेज में वर्णित व्यवस्था के अतिरिक्त स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य शर्तें भी लगाई जा सकती हैं।
22	स्वयं सहायता समूह या समूह	समूहों को परस्पर समझौता प्रस्तुत करना होगा।
23	उत्पाद कोड	खाता जी०एल० कोड मद "भारत दर्शन ऋण योजना (यात्रा ऋण योजना)" के अन्तर्गत खाता खोला जायेगा।
24	दस्तावेजीकरण	<p>पूर्व-स्वीकृत</p> <ol style="list-style-type: none">निर्धारित प्रारूप पर आवेदन।विगत तीन माह के बैंक खाते का विवरण की प्रति।शाखा प्रबन्धक की सन्तुष्टि के लिए उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज।ऋणी/जमानतियों का के०वाई०सी० एवं ई. के०वाई०सी० ऋण स्वीकृति से पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा।सिविल स्कोरउधारकर्ता मैट्रिस स्कोर / स्वयं सहायता समूह ओर समूह उद्यम।किसी भी बैंक का बकायेदार नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। <p>स्वीकृति के पश्चात ऋण वितरण से पूर्व:-</p> <ol style="list-style-type: none">बचन पत्र/प्रोनेटसमायोजन पत्रअधित्याग/छूट पत्रकन्ट्रूनिटी पत्रसाक्षी एवं ऋणी के मध्य सावधि ऋण समझौता अनुबन्ध।गारण्टी अनुबन्ध पत्र।



ऋण योजनान्तर्गत हेतु एप्रेजल नोट

- आवेदक का नाम पिता/पति का नाम
- स्थाई पता
- आवेदक का सेविंग खाता स0 फोन नं0
- जन्मतिथि आयु सिविल स्कोर टिप्पणी
- योजना लागत याचित ऋण राशि प्रतिदान क्षमता (मार्जिन मनी)
- अनुदान राशि ऋण की अवधि ब्याज दर मासिक किस्त
- ऋण के सापेक्ष लिये जाने वाली कोलेटरल सिक्योरिटी (सावधि जमा/भूमि रजिस्ट्री)
- नाम सावधि खाता स0—..... आकलित मूल्य—.....
 - खाता खतौनी स0—..... खसरा न0—..... रकवा—..... ग्राम/मौजा—.....
तहसील—..... परगना—..... जिला—..... भूमि की आकलित मूल्य—.....

➤ प्रस्तावित जमानतियों का विवरण—

- 1— जमानती का नाम पिता/पति का नाम
- कार्यालय का पता
- स्थाई पता फोन नं0
- 2— जमानती का नाम पिता/पति का नाम
- कार्यालय का पता
- स्थाई पता फोन नं0
- (जमानतियों की हैसियत विवरण— 1..... 2.....)



शाखा द्वारा संस्तुति / स्वीकृति

श्री / श्रीमती पिता / पति –

पता – को मु0 रु0

(शब्दो मे) जिसकी ऋण अवधि – एवं मासिक
किस्त – रु0 तय कर उक्त ऋण योजना पत्रावली को
निर्धारित नियमों एवं निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों
को दृष्टिगत रखते हुए सभी वैधानिक औपचारिकतांए पूर्ण करते हुए मूल ऋण पत्रावली स्वीकृती हेतु
श्रीमान सचिव / महाप्रबन्धक महोदय की सेवा में प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जा रही है।

सहायक आंकिक / सहायक
चमोली जिला सहकारी बैंक लि0
शाखा –

शाखा प्रबन्धक
चमोली जिला सहकारी बैंक लि0
शाखा –

प्रधान कार्यालय द्वारा स्वीकृति

श्री / श्रीमती पिता / पति –

पता – को मु0 रु0

(शब्दो मे) जिसकी ऋण अवधि – एवं मासिक
किस्त – रु0 की उक्त ऋण योजना पत्रावली को मुख्यालय
स्तर से दिनांक को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सहा0 आंकिक

अनु0 अधिकारी

उप-महाप्रबन्धक (विकास)

सचिव / महाप्रबन्धक



International Year
of Cooperatives



चमोली जिला सहकारी बैंक लि०

प्रधान कार्यालय-गोपेश्वर

Mail- dcbcm1@gmail.com

Mail- development@czsbank.com

Phone- 8191997901

Phone- 8191997932